न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, उन्नाव।

विशेष सत्र परीक्षण संख्याः–139 / 2013
राज्य बनाम ललई सिंह आदि

दिनॉकः– 29–7–2022

सत्र परीक्षण संख्या 139 / 2013 अपराध संख्या 320 / 2012 धारा 323, 325, 504, 506, भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)10 एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट, थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव के अन्तर्गत अभियुक्तगण ललई सिंह व हरी किशन सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वारंट निरस्त किये जाने का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण पूर्व से जमानत पर है। प्रार्थीगण के नियत पेशी में हाजिर न होने के कारण उनके विरूद्ध जमानतीय अधिपत्र मु0पॉच हजार रूपये जारी हो गया है। प्रार्थीगण से यह गलती जानबूझकर नही हुई बल्कि गलतफहमी के कारण वश हुई है। प्रार्थीगण ने वारंट निरस्त किये जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण के केवल 4 पेशी में हाजिर न होने के कारण उनके विरूद्ध जमानतीय वारंट जारी हो गया है। तथ्यो एवं परिस्थितियों को देखते हुए वारंट निरस्त किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण ललई सिंह व हरी किशन सिंह में से प्रत्येक के द्वारा पॉच–पॉच हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा अण्डरटेंकिंग इस आशय की, कि वह दौरान मुकदमा प्रत्येक नियत तारीख पेशी में हाजिर होते रहेगें, दाखिल करने पर उनके विरूद्ध जारी जमानतीय वारंट निरस्त किया जाता है।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट)
कोर्ट सं0–2, उन्नाव।